

Received by hand on  
08/08/17 91 01:10 PM

सेवा में,

दिनांक : 08.08.2017

माननीय जन सूचना अधिकारी,  
पुलिस मुख्यालय, एम0एस0ओ0 बिल्डिंग,  
आई0पी0 स्टेट, नई दिल्ली 110002

9630  
उपरी बन्ध..... जे.ए.ए. पु. पु. वि. वि.  
दिनांक..... 08/08/17

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन।

मान्यवर,

नियेदन है कि आवेदक निम्नलिखित सूचना की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जो इस प्रकार है :-

(क). जिन पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को आपराधिक अभियोग के आरोप में विभागीय जांच के उपरान्त, विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जा चुका था और ऐसे पुलिस कर्मियों/अधिकारी जिस आपराधिक अभियोग के आरोप में विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गये थे, अदालत द्वारा बरी किये जा चुके हैं, के सन्दर्भ में निम्नलिखित सूचना दी जाए:-

1. यह है कि ऐसे सभी दोषमुक्त पुलिस कर्मियों/अधिकारी जिनको उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate किया गया है, पद, नाम, पी0आई0एस0 न0., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, reinstate की तारीख एवम् आपराधिक अभियोग की प्रकृति सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।
2. यह है कि ऐसे दोषमुक्त पुलिस कर्मियों/अधिकारी, जिनको, उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate नहीं किया गया है, पद, नाम, पी0आई0एस0 न0., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, reinstate की तारीख, आपराधिक अभियोग की प्रकृति एवम् बर्खास्तगी की तारीख से reinstate न किये जाने का कारण व इसके सन्दर्भ में नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।
3. यह है कि ऐसे दोषमुक्त पुलिस कर्मियों/अधिकारी जिनको उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate नहीं किया गया है लेकिन पुनः सेवा में ले लिया गया है। पद, नाम, पी0आई0एस0 न0., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, पुनः सेवा में लेने की तारीख, आपराधिक अभियोग की प्रकृति एवम् बर्खास्तगी की तारीख से reinstate न किये जाने तथा पुनः सेवा में लिए जाने का कारण व इसके सन्दर्भ में नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ख). यह है कि जिन पुलिस कर्मियों/अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अभियोग अदालत में विचाराधीन है और ऐसे पुलिस कर्मियों/अधिकारी विभाग में सेवारत हैं। पद, नाम, पी0आई0एस0 न0., तैनाती, आपराधिक अभियोग की तारीख एवम् धारा/प्रकृति तथा सेवारत रहने का कारण व इसके सन्दर्भ में नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ग). यह है कि विभाग में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत चिकित्सा बिलों का सत्यापन/जाँच चिकित्सक द्वारा कराया जाता है, जिसमें पुलिस कर्मियों ने उपचार कराया था। यदि इस सम्बन्ध में विभाग अथवा CGHS विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन/आर्डर जारी किया है तो पिछले दस वर्ष की तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

(घ). यह है कि विभाग में अधिनस्त कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत चिकित्सा बिलों का सत्यापन/जाँच विभाग द्वारा कराया जाता है, जिसमें पुलिस कर्मियों ने उपचार कराया था। यदि इस सम्बन्ध में विभाग अथवा CGHS विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन/आर्डर जारी किया है, तो पिछले दस वर्ष की तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

(निरन्तर अग्रिम पृष्ठ पर)

*[Handwritten signature]*

(निरन्तर प्रथम पृष्ठ से)

(ग) यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में जारीशुदा सूचना vide office memo no. -No./24/Spl/ID-4063/2012/31909/PIO Cell/PHQ/dated 10/09/2012 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।

(घ) यह है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम (दण्ड एवम् अपील) की धारा 11 एवं 12 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाये।

(ङ) यह है कि दिल्ली पुलिस विभाग में तैनात सिपाही द्वारा स्वयं अथवा आश्रित परिजनो द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत चिकित्सा बिल फर्जी होने के सन्देह पर उपायुक्त पुलिस अधिकारी नियमानुसार किस नोटिफिकेशन/आर्डर/धारा अथवा अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक पद-पीजी सैल के अधिकारी द्वारा अस्पताल (जिसमें पुलिस कर्मी अथवा आश्रित ने उपचार कराया था।) सत्यापन/जाँच करा सकता है। इस सम्बन्ध में जारी नोटिफिकेशन/आर्डर/अनुच्छेद अथवा अधिनियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

(च) 1. यह है कि उपरोक्त सिपाही द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिल फर्जी होने के सन्देह पर उपायुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा निरीक्षक-पीजी सैल को दी गई जाँच में अस्पताल (जिसमें पुलिस कर्मी अथवा आश्रित ने उपचार कराया था।) द्वारा सत्यापन रिपोर्ट में उपरोक्त सिपाही द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिल, अस्पताल के रिकार्ड से मेल नहीं खाने (फर्जी पाए जाने) पर, उपायुक्त पुलिस अथवा उच्च अधिकारी की लिखित अनुमति/आदेश के बगैर, जांच अधिकारी-निरीक्षक-पीजी सैल सीधा पुलिस थाना जाकर स्वयं लिखित शिकायत देकर नियमानुसार उपरोक्त सिपाही के खिलाफ आपराधिक अभियोग दर्ज करा सकता है। यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में जारी नोटिफिकेशन/आर्डर/अनुच्छेद अथवा अधिनियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

2. यदि नहीं, तो किस अधिकारी को ऐसी दशा में नियमानुसार उपरोक्त सिपाही के खिलाफ आपराधिक अभियोग दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है। इस सम्बन्ध में जारी नोटिफिकेशन/आर्डर/अनुच्छेद अथवा अधिनियम की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

अतः श्रीमान जी से सानुरोध प्रार्थना है कि उपरोक्त सूचना की प्रमाणित प्रति समय पर उपलब्ध कराने तथा रिकार्ड का निरीक्षण कराने की कृपा करें। नियमानुसार शुल्क अदा किया जाएगा।

धन्यवाद।

आवेदक



डा०. राम किशोर त्यागी  
517/डी, गली न०. 5,  
विजय पार्क, दिल्ली . 53  
मो०न०.-9968161721

नोट:- 10/- रुपये का भा०पो०आ० न०. 37 एफ 982366 साथ संलग्न है।